

2025/440

प्रकरण सं. 360/25

निर्दिष्ट- 14-10-25

4.

पपत्र-0

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

.....मोडल.....

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम केरिया की

जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 588 (अ)-16 का-3-32448

में अमनाल पिठ गुलाब के नाम पर अमनाल पिठ गुलाब का नाम दर्ज है।

अमनाल पिठ गुलाब का नाम अमनाल पिठ गुलाब के नाम पर दर्ज है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फेरमान की कृपे करी जाये।
की सेवा उल्लास

प्रार्थी

अमनाल पिठ गुलाब

दिनांक-

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम केरिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 588 में प्रार्थी का नाम अमनाल पिठ गुलाब दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न अमनाल पिठ गुलाब व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अमनाल पिठ गुलाब है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

आधार 175,

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. Mansin
19/09/25

पटवारी
19/09/25

ग्रामीण सेवा शिक्ति 2025

गा. सं. केरिया

19.09.25

05

रिपोर्ट तहसीलदार माण्डगे-बागोर

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी केरिया व भू.अ.नि. अमनाल पिठ गुलाब एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम केरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 588 में प्रार्थी का नाम अमनाल पिठ गुलाब के बजाय अमनाल पिठ गुलाब किये जाने हेतु अभिशांषा की जाती है।

तहसीलदार (माण्डगे-बागोर)
जिला मीलवाड़ा

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार माण्डगे-बागोर ग्राम केरिया जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 खाता संख्या 588 में दर्ज प्रार्थी का नाम अमनाल पिठ गुलाब के स्थान पर अमनाल पिठ गुलाब संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डगे-बागोर